प्रेस विज्ञप्ति

12.10.2026

एनएसईएल मामला: विशेष पीएमएलए न्यायालय ने ₹3,464 करोड़ की ईडी द्वारा कुर्क परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण की अनुमति दी; प्रथम चरण में निवेशकों के ₹1,950 करोड़ के निपटान का मार्ग प्रशस्त

माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई ने पीएमएलए विशेष मामला संख्या 4/2015 में एम.ए. संख्या 169/2026 के अंतर्गत दिनांक **08.10.2026** को पारित अपने आदेश द्वारा नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कुर्क की गई ₹3,464 करोड़ मूल्य की संपत्तियों के मुद्रीकरण तथा उसके पश्चात **₹1,950 करोड़ की धनराशि के पुनर्स्थापन/वापसी (निवेशकों के लिए एकमुश्त निपटान के रूप में)** की अनुमति प्रदान की है। इस एकमुश्त निपटान को माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी), मुंबई द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह आदेश उन निवेशकों को धनराशि वापस दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो वर्ष 2013 में भुगतान में चूक होने के बाद से पिछले 13 वर्षों से अपनी धनराशि की वसूली की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

इस पुनर्स्थापन आदेश के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं:

- पीएमएलए के अंतर्गत कुर्क संपत्तियों के मुद्रीकरण से प्राप्त **₹1,950 करोड़ तक की धनराशि** का भुगतान, एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित योजना में परिभाषित निपटान की निर्धारित शर्त पूरी होने के पश्चात, विनिर्दिष्ट लेनदारों (निवेशकों) के समनुदेशिती के रूप में 63 मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 5,682 विनिर्दिष्ट लेनदारों को ₹1,950 करोड़ का भुगतान किया जाना है।
- चूंकि इनमें से अनेक संपत्तियां महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय प्रतिष्ठानों में) अधिनियम, 1999 (एमपीआईडी अधिनियम) के अंतर्गत भी कुर्क हैं, इसलिए ईडी **एमपीआईडी अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी के परामर्श से** इन संपत्तियों का मुद्रीकरण करेगा।

ईडी ने प्रक्रिया को सुगम बनाया: निवेशकों को शीघ्र पुनर्स्थापन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ईडी ने इस व्यवस्था के लिए अनापत्ति प्रदान की। आदेश के अनुसार, **₹1,950 करोड़ से अधिक प्राप्त होने वाली कोई भी धनराशि** कार्यवाही के अंतिम परिणाम के अधीन विशेष न्यायालय की अभिरक्षा में रहेगी।

पुनर्स्थापन

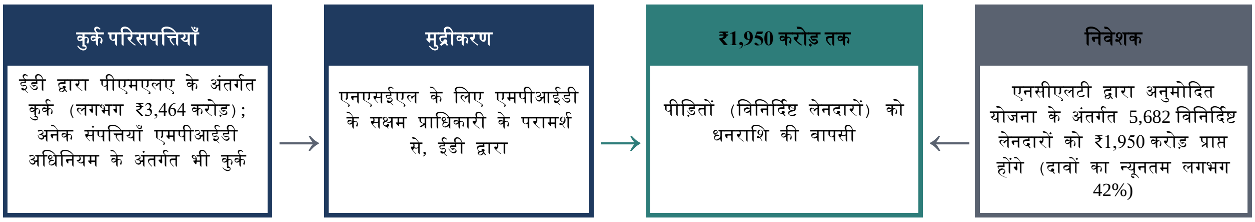
कुर्क परिसपत्तियाँ
ईडी द्वारा पीएमएलए के अंतर्गत कुर्क (लगभग ₹3,464 करोड़); अनेक संपत्तियाँ एमपीआईडी अधिनियम के अंतर्गत भी कुर्क
मुद्रीकरण
एनएसईएल के लिए एमपीआईडी के सक्षम प्राधिकारी के परामर्श से, ईडी द्वारा
₹1,950 करोड़ तक
पीड़ितों (विनिर्दिष्ट लेनदारों) को धनराशि की वापसी
निवेशक
एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित योजना के अंतर्गत 5,682 विनिर्दिष्ट लेनदारों को ₹1,950 करोड़ प्राप्त होंगे (दावों का न्यूनतम लगभग 42%)

मामले की पृष्ठभूमि

वर्ष 2013 में मुंबई के एम.आर.ए. मार्ग पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई थी, जिसे बाद में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को स्थानांतरित कर दिया गया।

उक्त एफआईआर प्लेटफॉर्म प्रदाता, उसके निदेशकों एवं प्रमुख अधिकारियों, 25 चूककर्ता सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी, आपराधिक न्यासभंग और जालसाजी के आरोपों में दर्ज की गई थी। आरोप था कि वास्तविक स्टॉक की उपलब्धता के बिना ही कमोडिटी में कारोबार करने की अनुमति दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप भुगतान में हुई चूक से लगभग 13,000 निवेशक प्रभावित हुए और लगभग ₹5,600 करोड़ की बकाया राशि के रूप में हानि हुई।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज कर धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के अंतर्गत मामले की जांच की। ईडी द्वारा अब तक 35 अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए गए हैं, जिनके माध्यम से लगभग ₹3,464.03 करोड़ मूल्य की संपत्तियां कुर्क की गई हैं। इसके अतिरिक्त, ईडी ने विशेष न्यायालय के समक्ष पूरक अभियोजन शिकायत (पीसी) सहित अभियोजन शिकायतें भी दायर की हैं।

समझौता योजना

दिनांक 28.11.2025 को राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी), मुंबई ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230–232 के अंतर्गत एक 'व्यवस्था योजना' (स्कीम ऑफ अरेंजमेंट) को स्वीकृति प्रदान की। इस योजना के तहत 5,682 निर्धारित ऋणदाताओं के लिए ₹1,950 करोड़ की एकमुश्त समझौता राशि निर्धारित की गई है। इस योजना को 92 प्रतिशत से अधिक ऋणदाताओं की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इसके अंतर्गत प्रत्येक पात्र ऋणदाता को उसके सत्यापित दावे की कम-से-कम 42 प्रतिशत राशि वापस मिलने का आश्वासन दिया गया है।

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (एनसीएलएटी) ने दिनांक 15.01.2026 को योजना की स्वीकृति को चुनौती देने वाली अपील खारिज कर दी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत चुनौती भी खारिज कर दी गई। दिनांक 13.04.2026 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सभी न्यायालयों एवं प्राधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पात्र निवेशकों को भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु यथाशीघ्र उपयुक्त आदेश पारित करें।

एनएसईएल मामला: भुगतान में चूक से पुनर्स्थापन संबंधी आदेश तक

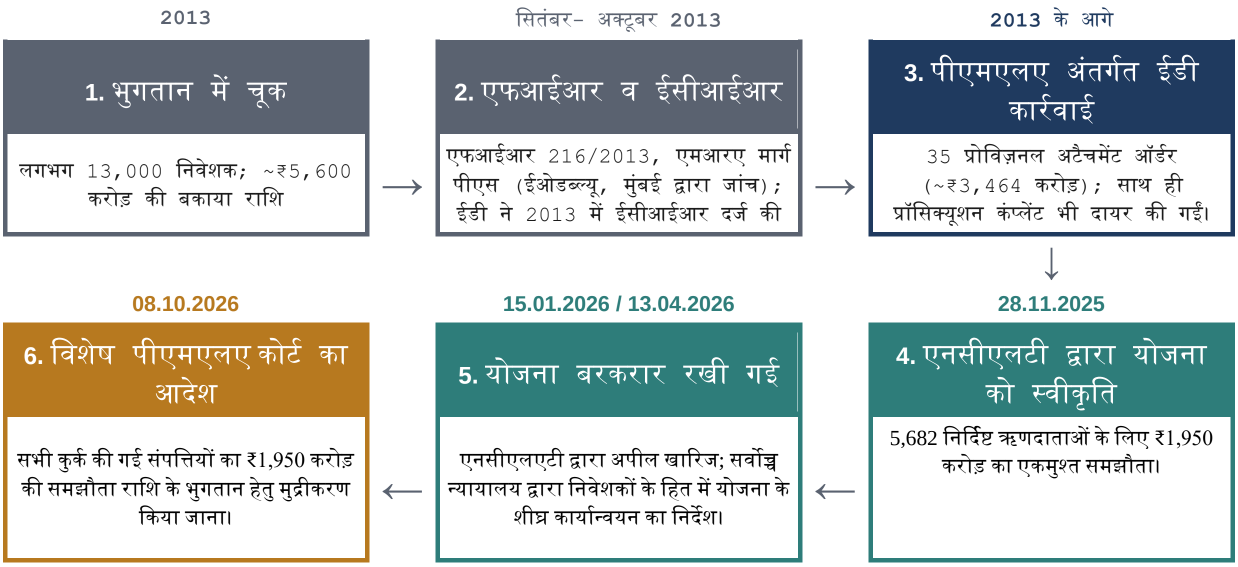

2013
1. भुगतान में चूक

लगभग 13,000 निवेशक; ~₹5,600 करोड़ की बकाया राशि

सितंबर- अक्टूबर 2013
2. एफआईआर व ईसीआईआर

एफआईआर 216/2013, एमआरए मार्ग पीएस (ईओडब्ल्यू, मुंबई द्वारा जांच); ईडी ने 2013 में ईसीआईआर दर्ज की

2013 के आगे
3. पीएमएलए अंतर्गत ईडी कार्रवाई

35 प्रोविज़नल अटैचमेंट ऑर्डर (~₹3,464 करोड़); साथ ही प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट भी दायर की गईं।

28.11.2025
4. एनसीएलटी द्वारा योजना को स्वीकृति

5,682 निर्दिष्ट ऋणदाताओं के लिए ₹1,950 करोड़ का एकमुश्त समझौता।

15.01.2026 / 13.04.2026
5. योजना बरकरार रखी गई

एनसीएलएटी द्वारा अपील खारिज; सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निवेशकों के हित में योजना के शीघ्र कार्यान्वयन का निर्देश।

08.10.2026
6. विशेष पीएमएलए कोर्ट का आदेश

सभी कुर्क की गई संपत्तियों का ₹1,950 करोड़ की समझौता राशि के भुगतान हेतु मुद्रीकरण किया जाना।

प्रमुख आँकड़े

मद	आँकड़ा
ईडी द्वारा कुर्क की गई संपत्तियाँ (35 अनंतिम कुर्की आदेश)	लगभग ₹3,464.03 करोड़
एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित योजना के अंतर्गत समझौता राशि	₹1,950 करोड़
योजना के अंतर्गत शामिल निर्दिष्ट ऋणदाता	5,682
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति के माध्यम से पूर्व में किया गया पुनर्स्थापन	लगभग ₹17.47 करोड़

पुनर्स्थापन की दिशा में ईडी के निरंतर प्रयास

कुर्क की गई समस्त संपत्तियों, अर्थात् **₹3,464 करोड़** मूल्य की संपत्तियों के मुद्रीकरण का आदेश, तत्काल ₹1,950 करोड़ की राशि के पुनर्स्थापन तथा शेष राशि के बाद के चरण में पुनर्स्थापन (जिसके संबंध में माननीय विशेष न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाएगा) की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

इस मामले में पुनर्स्थापन की दिशा में ईडी का यह पहला कदम नहीं है। इससे पूर्व, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) प्रदीप नंद्राजोग की अध्यक्षता वाली समिति के निर्देशों के अनुपालन में, ईडी ने मेसर्स टिम्बर ट्रेल ट्रैवल टुडे प्राइवेट लिमिटेड के शेयरों को उन पर अर्जित लाभ सहित, लगभग **₹17.47 करोड़** मूल्य की राशि के रूप में निवेशकों के बीच वितरण हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया था।

प्रवर्तन निदेशालय वित्तीय अपराधों से संबंधित संपत्तियों को सुरक्षित करने, धन शोधन के अपराधों का अभियोजन करने तथा विधि के अनुसार पात्र निवेशकों और दावेदारों को पुनर्स्थापन (रेस्टिट्यूशन) की सुविधा प्रदान करने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।

*****